न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Reader
Check & Report
10/X/25

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023

श्री मेवाराम उर्फ मेवा बनाम रामलाल व अन्य

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत।

08
17.10.25

Note:-
प्रार्थी अधिवक्ता ने प्र0 पत्र की प्रतिलिपि लेने से इन्कार किया

अमर सिंह राठौड़
एडवोकेट
10/10/2025

अप्रार्थीगण संख्या 3 से 12 की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1. यह कि उक्त माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.12.2025 नियत है।

2. यह कि उक्त प्रकरण के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्य छिपाकर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट की प्रस्तुत की गयी है। जिसके अन्तर्गत माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 13.06.2023 को अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि प्रकरण के अन्तर्गत 15–15 दिवस की चार तारीख पेशी दी जाकर प्रकरण का 60 दिवस में निस्तारण करावें। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के उक्त निर्देश की पालना में प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को वास्तविक तथ्य छिपाकर माननीय न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किये जाने की स्थिति में आदेश 39 नियम 3 ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि प्रकरण का 30 दिनों में निस्तारण किया जावे। ऐसी स्थिति में प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को वास्तविक तथ्य छिपाकर माननीय न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा प्रार्थी

अमर सिंह राठौड़
एडवोकेट

जानबूझकर उक्त एक पक्षीय स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान कर रहा है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उक्त एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2023 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. यह कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारों के बीच आये दिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद होते रहते है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है। इस आधार पर प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किये जाने की कृपा करावें।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 से 12 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अमरसिंह राठौड़
एडवोकेट

अजमेर
दिनांक 10/10/2025

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 12